

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत सौड़ भट्टगांव से क्याक-फलासी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 7.00 किमी०

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

-----संलग्न है-----


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Sp. 05

संख्या- 1473/111(2)/14-75(मा0आ0)/2013

प्रेषक,

महिमा,

उप सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

SSO II/SAICP

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 04 मार्च, 2014

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 21 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथ्या व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 08 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 94.50 किमी० + 06 सेतु है, पर टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 585.36 लाख (₹ छः करोड़ पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में संलग्नक के कॉलम सं०-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 21 कार्य हेतु ₹ 2.10 लाख (₹ दो लाख दस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शीड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गमित समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-06-2006 द्वारा निर्गमित आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिध्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

M. H. N.

(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उससे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाधीन-6054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-870(A)/XXVII(2)/2013 दि0: 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भूवर्दीय,

11/10/14

(महिमा)

उप सचिव

संख्या:- 1473 (1)/11(2)/14-75(PA03A0)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

10. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
11. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
12. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
13. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
14. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कौषाधिकारी, देहरादून।
15. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
17. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
18. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)

उप सचिव

प्रमुख अभियन्ता/उप अभियन्ता

लोक निर्माण विभाग, आराखण्ड

देहरादून

प्राप्त पत्र सं.-469/20 माहोपात 08/2014

दि0 07/13/2014

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य अभियन्ता (ज/कुमायूँ) लो0नि0वि0 पौड़ी/अल्मोड़ा
- 2- अधीक्षण अभियन्ता प्रथम/सहाय/महम वृत्त लो0नि0वि0 अल्मोड़ा
- 3- बजट/आर्किटेक्चर को रोजगार/प्रशासकीय

मुख्य अभियन्ता/उप अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

शासनादेश संख्या- 1473 / 11(2) / 14-75(प्र0आ0) / 2013 दिनांक 04 मार्च, 2014 क संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अनुमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत भौसाल चौड मोटर मार्ग से डोभा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.00	16.21 (₹ 11.70 + ₹ 4.51 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत स्वारी-ग्वांस मोटर मार्ग से मालखी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	53.16 (₹ 35.10 + ₹ 18.06 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत सौड भट्ट से तर्की-फलाशी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	61.60 (₹ 40.95 + ₹ 20.65 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
4	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत एस०सी०पी० याजना के अन्तर्गत बीरी-देवल मोटर मार्ग से अनुसूचित जाति बस्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	13.29 (₹ 8.78 + ₹ 4.51 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड ऊखीमठ के अन्तर्गत छथिण्ड से पैलिंग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	31.09 (₹ 17.55 + ₹ 13.54 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
6	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत कणसिल- जावरी मोटर मार्ग के आंसो-जयकण्डी तक मोटर मार्ग निर्माण का कार्य।	5.00	43.55 (₹ 29.25 + ₹ 14.30 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अन्तर्गत बुधाणी-मयकोटी मोटर मार्ग से तिलबाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	26.40 (₹ 17.55 + ₹ 8.85 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोल्दी के विकास खण्ड जौनपुर में फिडौगी वैण्ड से नकुर्ची दबाली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	3.00	21.09 (₹ 17.55 + ₹ 3.54 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
9	जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोल्दी के विकास खण्ड जौनपुर में बिलोन्दी पुल से डुण्डा नकुर्ची खनेरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।	2.00	14.05 (₹ 11.70 + ₹ 2.35 उत्तराखण्ड अधिग्रहीत निचगांवली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
10	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडोन के अन्तर्गत काली नदी में अपोला सेरा मोटर मार्ग के कि०मी० 9 में 70 मी० मोटर पुल का निर्माण कार्य।	70mt	4.90	0.10
11	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडोन के अन्तर्गत हलूखाल-नैनीडाण्डी मोटर मार्ग के मुजरावैण्ड से सिद्धपीठ अपोलासेरा मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	8.00	1.36	0.10

11/11

शासनादेश संख्या:- 1473 / 111(2) / 14-75(प्रो0आ0) / 2013 दिनांक 04 मार्च, 2014 का संलग्नक

12	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत नैनीडाण्डा-हल्द्वखाल मोटर मार्ग के स्थान कांदी खाली से रा0उ0मा0वि0 तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमाड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	8.00	59.36 (₹ 46.80 + ₹ 12.56 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
13	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में ग्राम हरबाड़ एवं पन्द्रहपाली को जोड़ने हेतु लाहुर नदी पर स्टील गर्डर पैदल सेतु का निर्माण कार्य।	30mt	1.20	0.10
14	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत खोला मोटर मार्ग से बर्तौली- बानठोक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	29.25	0.10
15	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत दन्था-आरासुल्फड़ मोटर मार्ग के मयोली बैण्ड से ग्राम चिमखोली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	6.00	45.93 (₹ 35.10 + ₹ 10.83 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत आरा से मानेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.00	15.31 (₹ 11.70 + ₹ 3.61 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
17	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बसोली खान-बिरकोला-सलपड़-चिरकोली-तल्ला सोराघाट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (3 नं0 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर पुल सहित।)	25.00 + 03 Brg	196.57 (₹ 151.29 + ₹ 45.28 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
18	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भौगादेवली के भंडोली (तल्ली भौगादेवली) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	23.44 (₹ 17.55 + ₹ 5.89 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
19	जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धौलादेवी ब्लॉक के अन्तर्गत ग्राम खोला तथा बीना के मध्य नौलाबगड़ में 12 मी0 स्पान आर0सी0सी0 पैदल पुल का निर्माण कार्य।	12.00 mtr.	1.74	0.10
20	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत शहरफाटक-भाभू मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य।	2.00	2.42 (₹ 0.34 + ₹ 2.08 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
21	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जागर से भौगादेवली लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	23.44 (₹ 17.55 + ₹ 5.89 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योग:-	94.50 + 06 brg	685.36	2.10

(कुल ₹ दो लाख दस हजार मात्र)

(महिमा)
उप सचिव